APP-A
Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – कंवलियास

शिवराज पिता नन्दा जाट वगैराह निवासी गोविन्दपुरा, तहसील हुरडा — बनाम — जमनालाल पिता रुघनाथ जाटवगैराह निवासी– गोविन्दपुरा, तहसील हुरडा

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 (ए) रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 209/2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता नन्दा पुत्र प्रताप के खाते में व शिवराज मुतबन्ना मगना जाट के खाते में जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 में दर्ज थी । उक्त आराजी सिलिंग में अधिग्रहण कर लिये जाने से सिलिंग कानून के तहत बिलानाम दर्ज कर दी गई तथा नामान्तकरण संख्या–113 दिनांक 05.12.1976 से उक्त आराजी लादूलाल पिता बख्तावर नायक के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी किन्तु उक्त आराजी पर लादूलाल का कभी कब्जा नही होने से पुनः बिलानाम दर्ज कर दी । वकील वादी ने आगे यह भी कथन किया कि उक्त आराजी सिलिंग अधिग्रहण करने के बाद भी इस भूमि पर आज तक नन्दा पिता प्रताप व शिवराज मूतबन्ना मगना तथा उनकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । जिसको करीब 40 साल से अधिक का समय हो जाने से वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 का उक्त आराजी में किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है उसे और न ही और न ही उनका उक्त आराजी पर कब्जा है फिर भी वह कानून हाथ लेकर उक्त आराजी से वादीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारु रहते है। मना करने पर न मान लडाई झगडा करते है, इसलिये उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जावे। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार है जिस पर हरिराम का नाजायज कब्जा चला आ रहा है। तथा धारा– 91 एल.आर.एक्ट. के तहत उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाती रही है। तथा अतिक्रमी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादीगण	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आराजी नम्बर– 1309 के खातेदार है, और इसी आराजी पर काबिज है। आराजी नम्बर– 1309 व 1310 के बीच में आराजी नम्बर– 1309 की पाली वर्षो पुरानी है, जो 3 फीट करीब चौडी है जो उनके खातेदारी की है, अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नही है और न था इसलिये वादीगण हक घोषणा करवाने के अधिकारी नही होने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 मौजा सनोदिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 1310 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा भूमि नन्दा पिता प्रताप, शिवराज पिता मगना जाट साकिन गोविन्दपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 48 से सिलिंग में आने से पूरा खाता बिलानाम दर्ज होना तथा नामान्तकरण संख्या– 113 दिनांक 05.12.1976 से लादू पिता बख्तावर नायक के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है, पत्रावली में उपलब्ध हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 के अनुसार वादग्रसत भूमि आराजी नम्बर– 1310 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट है।

यहॉ वादीगण का कथन है कि सिलिंग में अधिग्रहण के बाद भी उक्त आराजीयात पर लगातार हमारे पूर्वजों का व उनकी मृत्यु के बाद हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का उक्त कथन गलत व बनावटी प्रतीत हुआ है, क्योंकि न्यायालय हाजा के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब करवायी जाने पर पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा न होकर हरिराम पिता भैरु जाट साकिन गोविन्दपुरा का कब्जा है। साथ ही वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1310 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के रिट पीटिशन नम्बर– 14211/2016 से स्थगन होना, पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अकित किया है, साथ ही वादीगण ने भी वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में उनका विवादित भूमि पर एडवर्स प्रजेशन होना भी नही माना जा सकता लिहाजा दावा वादी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

"निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner